संख्या-10/2026/190/उन्नीस-2-2026/001-1984320

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व लेखे के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 12,89,80,84,000/- (रुपये बारह अरब नवासी करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 6,99,03,84,000/- (रुपये छह अरब निन्यानबे करोड़ तीन लाख चौरासी हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।
2. धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त् की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसे स्वीकृति अवश्यक प्राप्त् कर ली जाय।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग समस्त सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्राविधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ न जारी की जाय।
8. सामग्री और सम्पूर्ति, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, मशीन और सज्जा/ उपकरण और संयत्र, लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, प्रकाशन, आतिथ्य व्यय, अनुरक्षण, कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय, विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय तथा अन्य व्यय एवं प्रोपराइटरी आइटमों के क्रय के समय उनकी दर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा स्टोर परचेज रूल्स तथा क्रय संबंधी समय-समय पर निर्गत वित्तीय शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा विभाग में कार्यरत मुख्य वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी की होगी।
9. स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2220011050300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220011050300 अधिष्ठान	01 वेतन	83,20,000 (रुपये तिरासी लाख बीस हजार मात्र)
2	086	2220011050300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	54,08,000 (रुपये चौवन लाख आठ हजार मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

3	086	2220011050300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
4	086	2220011050300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
5	086	2220011050300 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
6	086	2220011050300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	086	2220011050300 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	086	2220011050300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
9	086	2220011050300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
10	086	2220011050300 अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	086	2220011050300 अधिष्ठान	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
12	086	2220011050300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
13	086	2220011050300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
14	086	2220011050300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

15	086	2220011050300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
16	086	2220011050300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	6,35,000 (रुपये छह लाख पैंतीस हजार मात्र)
	कुल			2,05,92,000 (रुपये दो करोड़ पाँच लाख बानबे हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220011050400 (न्यूज़रील का निर्माण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220011050400 न्यूज़रील का निर्माण	08 कार्यालय व्यय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	086	2220011050400 न्यूज़रील का निर्माण	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	086	2220011050400 न्यूज़रील का निर्माण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	086	2220011050400 न्यूज़रील का निर्माण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
5	086	2220011050400 न्यूज़रील का निर्माण	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
	कुल			4,10,000 (रुपये चार लाख दस हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष: 2220011050500 (फिल्म यूनिट)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220011050500 फिल्म यूनिट	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	086	2220011050500 फिल्म यूनिट	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	086	2220011050500 फिल्म यूनिट	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	086	2220011050500 फिल्म यूनिट	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
5	086	2220011050500 फिल्म यूनिट	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
	कुल			4,85,000 (रुपये चार लाख पचासी हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220011050600 (डिजीटल प्रसारण योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220011050600 डिजीटल प्रसारण योजना	08 कार्यालय व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	086	2220011050600 डिजीटल प्रसारण योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2220600010300 (अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	01 वेतन	10,85,00,000 (रुपये दस करोड़ पचासी लाख मात्र)
2	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	02 मजदूरी	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
3	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	03 मंहगाई भत्ता	7,05,25,000 (रुपये सात करोड़ पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र)
4	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	06 अन्य भत्ते	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
7	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	07 मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	08 कार्यालय व्यय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
9	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	09 विद्युत देय	1,44,00,000 (रुपये एक करोड़ चौवालीस लाख मात्र)
10	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	10 जलकर / जल प्रभार	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

11	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
12	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
13	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	38,78,000 (रुपये अड़तीस लाख अठहत्तर हजार मात्र)
14	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
15	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
16	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
17	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
18	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
21	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
22	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	49 चिकित्सा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

23	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
24	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	55 मकान किराया भत्ता	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
25	086	2220600010300 अधिष्ठान व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			39,23,78,000 (रुपये उनतालीस करोड़ तेईस लाख अठहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601010500 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601010500 अधिष्ठान	01 वेतन	1,74,95,000 (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र)
2	086	2220601010500 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	1,13,72,000 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख बहत्तर हजार मात्र)
3	086	2220601010500 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	086	2220601010500 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)
5	086	2220601010500 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
6	086	2220601010500 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7	086	2220601010500 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	086	2220601010500 अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5,00,00,00,000 (रुपये पाँच अरब मात्र)
9	086	2220601010500 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
10	086	2220601010500 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
11	086	2220601010500 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
12	086	2220601010500 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
13	086	2220601010500 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			5,08,11,90,000 (रुपये पाँच अरब आठ करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601020300 (सूचना केन्द्र का अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	01 वेतन	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
2	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	1,17,00,000 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

3	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
4	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
6	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
7	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	09 विद्युत देय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
9	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
14	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
15	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
17	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
18	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
20	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

21	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
22	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
23	086	2220601020300 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			6,72,36,000 (रुपये छह करोड़ बहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601020401 (सूचना केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601020401 सूचना केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601030301 (प्रेस सूचना सेवायें कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601030301 प्रेस सूचना सेवायें कार्यक्रम	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2	086	2220601030301 प्रेस सूचना सेवायें कार्यक्रम	49 चिकित्सा व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601030400 (टेलीप्रिंटर योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601030400 टेलीप्रिंटर योजना	01 वेतन	5,55,000 (रुपये पाँच लाख पचपन हजार मात्र)
2	086	2220601030400 टेलीप्रिंटर योजना	03 मंहगाई भत्ता	3,61,000 (रुपये तीन लाख इकसठ हजार मात्र)
3	086	2220601030400 टेलीप्रिंटर योजना	06 अन्य भत्ते	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
4	086	2220601030400 टेलीप्रिंटर योजना	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
5	086	2220601030400 टेलीप्रिंटर योजना	49 चिकित्सा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
6	086	2220601030400 टेलीप्रिंटर योजना	55 मकान किराया भत्ता	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
	कुल			11,28,000 (रुपये ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601060300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

1	086	2220601060300 अधिष्ठान	01 वेतन	21,81,00,000 (रुपये इक्कीस करोड़ इक्यासी लाख मात्र)
2	086	2220601060300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	14,17,65,000 (रुपये चौदह करोड़ सत्रह लाख पैंसठ हजार मात्र)
3	086	2220601060300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
4	086	2220601060300 अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	086	2220601060300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	086	2220601060300 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
7	086	2220601060300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
8	086	2220601060300 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
9	086	2220601060300 अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
10	086	2220601060300 अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
11	086	2220601060300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12	086	2220601060300 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	15,75,000 (रुपये पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
13	086	2220601060300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)
14	086	2220601060300 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
15	086	2220601060300 अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
16	086	2220601060300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	086	2220601060300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	086	2220601060300 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
19	086	2220601060300 अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
20	086	2220601060300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
21	086	2220601060300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	086	2220601060300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

23	086	2220601060300 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7,20,00,000 (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			49,95,91,000 (रुपये उनचास करोड़ पंचानबे लाख इक्यानबे हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601090300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601090300 अधिष्ठान	01 वेतन	23,75,000 (रुपये तेईस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	086	2220601090300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	15,44,000 (रुपये पन्द्रह लाख चौवालीस हजार मात्र)
3	086	2220601090300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	086	2220601090300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
5	086	2220601090300 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
6	086	2220601090300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7	086	2220601090300 अधिष्ठान	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
8	086	2220601090300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
9	086	2220601090300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
10	086	2220601090300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
11	086	2220601090300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
12	086	2220601090300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,98,000 (रुपये एक लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
	कुल			79,09,000 (रुपये उनासी लाख नौ हजार मात्र)

(लेखाशीर्ष: 2220601100300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601100300 अधिष्ठान	01 वेतन	2,15,00,000 (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2	086	2220601100300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	1,39,75,000 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
3	086	2220601100300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
4	086	2220601100300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	4,000 (रुपये चार हजार मात्र)
5	086	2220601100300 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
6	086	2220601100300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
7	086	2220601100300 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
8	086	2220601100300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
9	086	2220601100300 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
10	086	2220601100300 अधिष्ठान	18 प्रकाशन	75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र)
11	086	2220601100300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
12	086	2220601100300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

13	086	2220601100300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	086	2220601100300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
15	086	2220601100300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	15,50,000 (रुपये पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			79,11,05,000 (रुपये उनासी करोड़ ग्यारह लाख पाँच हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220601110300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220601110300 अधिष्ठान	01 वेतन	17,25,000 (रुपये सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	086	2220601110300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	11,21,000 (रुपये ग्यारह लाख इक्कीस हजार मात्र)
3	086	2220601110300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	086	2220601110300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
5	086	2220601110300 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6	086	2220601110300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
7	086	2220601110300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
8	086	2220601110300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
9	086	2220601110300 अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
10	086	2220601110300 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
11	086	2220601110300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
12	086	2220601110300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			2,08,15,000 (रुपये दो करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)

लेखाशीर्ष:2220608000300 (स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी उत्सवों आदि पर व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220608000300 स्वतन्त्रता तथा	42 अन्य व्यय	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

		गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी उत्सवों आदि पर व्यय		
	कुल			1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220608000400 (लखनऊ महोत्सव के आयोजन पर व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220608000400 लखनऊ महोत्सव के आयोजन पर व्यय	42 अन्य व्यय	45,000 (रुपये पैंतालीस हजार मात्र)
	कुल			45,000 (रुपये पैंतालीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2220608000700 (फिल्म विकास निधि की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	086	2220608000700 फिल्म विकास निधि की स्थापना	42 अन्य व्यय	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

महायोग	6,99,03,84,000 (रुपये छह अरब निन्यानबे करोड़ तीन लाख चौरासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय प्रसाद
अपर मुख्य सचिव

संख्या-10/2026/190(1)/उन्नीस-2-2026/001-1984320, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

चंचलता श्रीवास्तव
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।